भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1805

दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूसीपीएमपी को अनिवार्य बनाना

1805. श्री बी. लिंग्याह यादव:
श्री एस. मुत्तुकरुप्पन:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फार एथिकल हेल्थकेयर) (नीतिपरक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों के संगठन) ने मांग की है कि समान औषध विपणन की प्रथा संहिता (यूसीपीएमपी) को अनिवार्य बनाया जाए;

(ख) क्या यह भी सच है कि पांच वर्ष के बाद भी यह कोड ऐच्छिक है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई चिकित्सीय संगठनों ने इस संहिता को अनिवार्य बनाए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि नहीं, तो अब तक इसे अनिवार्य न बनाए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क): औषध विभाग को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ): सरकार ने औषध कम्पनियों द्वारा अपने चिकित्सीय उत्पादों की बिक्री को संवर्धित करने के लिए उनके द्वारा अपनाए जाने वाली अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए वर्ष 2014 में औषधीय विपणन कार्यकलाप संबंधी एकरूप संहिता (यूसीपीएमपी) तैयार एवं घोषित की थी। इसे दिनांक 01.01.2015 से स्वैच्छिक रूप से लागू करने के लिए सभी औषध संघों को दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को भेजा गया। इस विभाग को कुछ क्षेत्रों से यूसीपीएमपी को अनिवार्य बनाए जाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं परन्तु यह विभाग यूसीपीएमपी को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता के प्रति अभी तक दृढ़मत नहीं है।

*****